विकलांगों की समस्या को समझते हुए सरकार ने विकलांगों के कल्याण कार्य को अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया है। और अधिक भारत के संविधान के अनुछेद् 41 एवं 46 में भी विकलांग समुदाय की सर्वागीण बेहतरी पर जोर दिया गया है। विकलांगों की पांच वर्गो में विभाजित किया गया है–

(1) दृष्टि विकलांगता
(2) अस्थि विकलांगता
(3) श्रवण विकलागंता
(4) मानसिक विकलांगता तथा
(5) कुष्ठ–उपचारोपरांत विकलांगता।

इस देश में विकलांग लोगों की बहुत बडी जनसख्या है और ये लोग किसी भी कार्य को एक चुनौती के रूप ले लेते है। इसलिए सरकार ने इन्हें शारीरिक निःशक्त व्यक्ति के रूप संदर्भित करना आरंभ कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र संधि–

निःशक्त लोगों के शक्तिकरण की ओर कदम उठाते हुए सरकार ने निःशक्त लोगों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि पर 30 मार्च, 2007 को हस्ताक्षर करने आरंभ हुए थे। भारत उन पहले देशों में से एक है जिन्होने 01 अक्टूबर 2007 को इस संधि को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह संधि 03 मार्च 2008 से प्रभावी हो गई है।

इस संधि का उद्देश्य सभी निःशक्त लोगों के द्वारा सभी मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता की समान रूप से प्राप्ति एंव उनको पूरी तरह सुनिश्चित, सुरक्षित तथा उनका संवर्धन करना है साथ ही साथ उनकी गरिमा में भी वृद्वि करना है। संधि का अनुच्छेद् 3 आठों निदेशक तत्वों का विस्तृत विवरण देता है और अनुच्छेद 4 सामान्य बाध्यताओं को रेखांकित करता है।

एसईईपीएच (सीफ)

विकलांगों के पुनर्वास की ओर एक कदम के रूप में सरकार ने 1957 में बबंई में एक शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगाार कार्यालय एसईईपीएच खोला गया था। अब सरकार ने इनकी संख्या बढाकर 43 कर दी है। दूसरे कदम के रू‍ में सरकार ने विकलांग लोगों की व्यावसायिक क्षमताओं में सहायता पहुंचाने के लिए देशभर में मुख्य स्थानों पर व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वीआरसी) स्थापित किये हैं इन 20 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में से पटना तथा बडौदरा केंद्रों को विशेष रूप से महिला विकलांगों के लिए बनाया गया है।

राष्ट्र स्तरीय संस्थान

रोजगार शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्र स्तरीय सुविधा मुहैया कराने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांगों के प्रत्येक वर्ग के लिए चार राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की थी जो इस प्रकार–

– राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड।
– राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
– अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान मुबंई, महाराष्ट्र।
– राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश।

समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने चेन्नई के निकट मुतुकड में राष्ट्रीय बहु–विकलांगता संस्थान स्थापित किया है। तमिलनाडु के पुडुक्कोतई में हॉस्पीटल की विशेष टीम विशेषज्ञ डाक्टरों के जरिए विकलांगों का विशेष तरीके से ईलाज कर रही है।

छुट तथा सुविधाएं

सरकार विभिन्न मंत्रालयों के जरिए विकलांग समुदाय के सर्वागीण विकास के लिए अनेक सुविधाएं मुहैया करा रही है। 1997 में से ही सरकार समूह क, ख, ग तथा ड की नौकरियों में तीन प्रतिशित आरक्षण प्रदान कर रही है। यह एक प्रतिशत दृष्टिहीन लोगों के लिए एक प्रतिशत मूक बधिरों के लिए तथा एक प्रतिशत अस्थि विकलांगों के लिए है। सभी राज्य सरकारें तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन भी इसी नीति का अनुसरण कर रहे है। निःशक्त लोगों के लिए सभी मानव अधिकारों का उपयोग करने तथा उन्हें पूरी तरह से मान्यता प्रदान करने के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित किये साथ ही साथ उनके लिए सहायता, स्वायत्ता तााि समान अवसरों के प्रति विस्त प्रतिबध्दता को आगे बढाया है। ये कदम भारत को यूएनसीआरपीडी के तहत् अंतराष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी वहन करने में सक्षम बनायेगें।

नौकरियों में समान्य आयु सीमा सीमा के मुकाबले विकलांग लोगों को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर कोई निःशक्त व्यक्ति टाईप नहीं कर सकता तो उस टाईपिंग परीक्षा से छूट मिल जाती है। संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ने स्व7रोजगाार योजना के तहत विकलांग लोगों के लिए टेलीफोन बूथ खोल हैं अधिकतर विकलांग लोग इस योजना के लाभों के तहत टेलीफोन बूथ चला रहे है ओर अपनी आजीविका कमा रहे है। मंत्रालय ने दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि के पत्रों पर डाक टिकट न लगाने की छूट प्रदान कर दी है।

केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यालयों में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पदों में आरक्षण कडाई के साथ लागू किया जा रहा है। पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल इकाइयों की सभी प्रकार की 15 प्रतिशत

डीलरशिप तथा एजेंसियां केवल विकलांग लोगों के लिए आरक्षित कर रखी है। वित मंत्रालय के निर्देशों के तहत सभी राष्टीयकृत बैंक निःशक्त लोगों को बिना किसी गारंटी के 6,500 रू0 तक का लोन 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर मुहैया करा रहा है। इस प्रकार का लोन विकलांग लोगों को स्व–रोजगार के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग लोगों के सर्वागीण विकास के लिए अभी हाल ही में एक निगम का गठन किया हैं जिसका नाम राष्टीय विकलांग वित्तीय विकास निगम हैं। इसका गठन विशेषतौर पर बेरोजगार विकलांगों के लिए स्व–रोजगार कार्यक्रम आरंभ करने के लिए किया गया है। यह निगम विकलागों के द्वारा अपने ही कारखानों में बनाये गये माल की बिक्री के लिए भी इंतजाम करता है। मत्रालय ने गरीब विकलांग विद्यार्थियों के लिए एक राष्टीय छात्रवृति भी मुहैया करा रहा है।

मुख्यतः निःशक्त लोगों से जुडे विभिन्न कार्यो के लिए गैर सरकारी संगठनों, राष्टीय संस्थानों, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा राष्टीय विकलांग वित्तीय विकास निगम के लिए सरकार ने वर्ष 2004–05 में 130.55 करोड रू0, वर्ष 2005–06 में 124.71 करोड रू0 तथा वर्ष 2006–07 में 122.19 करोड रू0 जारी किये थे।

पिछले वर्षो के अनुभवों से सबक लेते हुए चालू वित वर्ष से गैर सरकारी संगठनों को दी जाने वाली अनुदान सहायता की मंजूरी पक्रिया पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे बहु–अनुशासनात्मक समितियों के द्वारा जांच पडताल के बाद ही ठोस प्रस्ताव भेजे। फंड के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए खातों का लेखा विविरण, लाभार्थियों की सूची तथा उपयोग प्रमाण पत्र के अलावा सामयिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की गई है।

ब्रेल लिपि में सूचना का अधिकार–

विकलांगों को समान अवसर मुहैया कराने के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने दृष्टिहीन लोगों के लिए सूचना का अधिकार, अधिनियम का ब्रेल लिपि संस्करण जारी किया है। सूचना का अधिकार, अधिनियम का ब्रेल लिपि संस्करण राष्ट्रीय दृश्यता विकलांगता संस्थान, 16, राजपुर रोड देहरादून उत्तराखंड से प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अलावा केंद्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए निम्न छूट उपलब्ध कराई है।

– इन्हें एक ही वैकल्पिक विषय पढना होगा बजाय दो के जोकि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। साथ ही गणित या विज्ञान में से भी किसी एक विषय को वैकल्पिक विषय बनाया जा सकता है।
– यदि जरूरत है तो परीक्ष केंद्र में लेखक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
– परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए भी 30–60 मिनट तक अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
– दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र में तथा कक्षा 12 में इतिहास, भुगोल एवं अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में बडे साईज में छपा हुआ होगा।
– कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान तथा संचारात्मक अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में तथा कक्षा 12 में इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न केवल दुष्टिहीनों के लिए ही होगें।
– जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक इनके लिए भूतल पर ही परीक्षा देने का इंतजाम किया जाएगा।
– फिजीयो–थिरेपी अभ्यास को शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा पाठयक्रमों के समतुल्य ही माना जाएगा।
– इस वर्ग के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका अलग से जांची जाएगी।

इन उपरोक्त छूटों का विस्तार देशभर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सबंध सभी स्कूलों में किया जा रहा है। अतः सरकार ने निःशक्त लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यो को लागू कर इन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया है।